भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-। खंड-।

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1997/भाद्रपद 7, 1919

फा. सं. 33/7/97—पी आई-। — जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का 10) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन समय–समय जारी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, के अनुसार अनुसूचित श्रेणी में शामिल बल्क औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते रहे हैं और भारत सरकार यह अनुभव करती रही है कि प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण एवं संशोधन करने की वर्तमान मशीनरी बोझिल, जटिल तथा अधिक समय लेने वाली है।

2. और जबकि, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार का यह विचार है कि प्रक्रिया को सरल तथा सुप्रवाही बनाने वाले तथा व्यापक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाना चाहिए। जिसके पास अन्य बातों के साथ–साथ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन समय–समय पर बल्क औषधों व सूत्रयोगों के मूल्यों को निर्धारित करने तथा उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, को अधिसूचित करने का अधिकार हो;

3. इसलिए, सरकार ने अब विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस निकाय का नाम राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण होगा जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तर के एक अध्यक्ष होंगे तथा औषधि, अर्थशास्त्र तथा लागत लेखा क्षेत्रों में विशेषता रखने वाले सदस्य और भारत सरकार के संयुक्त सचिव/अपर सचिव की हैसियत/रैंक के एक सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण को मूल्य निर्धारण/पुर्ननिर्धारण तथा अन्य संबंधित मामले निर्धारित मानदण्ड/मार्गदर्शन के आधार पर जैसे मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधों को शामिल करके/निकाल करके औषध सूची को अद्यतन करना आदि कार्य सौंपे जाते हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा जिस पर यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र सरकार पुनरीक्षण करेगी। यह प्राधिकरण गैर विनियंत्रित औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों की भी मानीटरिंग करेगा तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त इस प्राधिकरण को कुछ और कार्य सौंपे गये हैं, जैसा कि इस संकल्प की अनुसूची में दिया गया है।

4. प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु अपनी प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार होगा। यह शासकीय, गैर शासकीय निकायों/संगठनों से टिप्पणियां, ज्ञापन, अध्ययनों के परिणाम,

आंकड़े तथा अपने कार्य के लिए अन्य संगत सामग्री मांगने के लिए तथा उनके साथ विचार–विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्राधिकरण को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा अन्य संगत संगठनों से नजदीकी सम्पर्क बनाए रखने का अधिकार होगा।

5. प्राधिकरण का खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

7. इस संकल्प के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से यह प्राधिकरण स्थापित हो जाएगा और कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

अनुसूची

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अन्य कार्य

(1) सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों को लागू करना;

(2) प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना;

(3) औषधों की उपलब्धता को मानीटर करना और यदि कोई कमी हो तो उसकी पहचान करना तथा निवारणात्मक कदम उठाना;

(4) उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग–अलग कंपनियों का बाजार में हिस्सा, प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के लिए कंपनियों की लाभदेयता आदि संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना/रख–रखाव करना;

(5) औषधों/भेषजों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन शुरु करना/प्रायोजित करना;

(6) प्राधिकरण के अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भर्ती/नियुक्ति करना;

(7) औषध नीति में परिवर्तनों/संशोधनों से संबंधित नीतिमूलक उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना;

(8) औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहायता देना।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाये।

यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण के सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन.आर. बनर्जी, सचिव